भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न सं0 64

06 फरवरी, 2020 को उत्तर के लिए

'kgjh xjhcksa ds fy;s vkokl

***64- Jh vlknqn~nhu vksoSlh%**
Jh l¸;n bZeR;kt t+yhy%

D;k **vkoklu vkSj 'kgjh dk;Z ea=h** ;g crkus dh d`ik djsaxs fd%

¼d½ D;k izèkku ea=h vkokl ;kstuk ¼'kgjh½ ds varxZr 'kgjh xjhcksa ds fy;s vkokl ;kstuk twu] 2015 esa vkjaHk dh xbZ Fkh ftldk y{; 1-12 djksM+ ?kjksa dk fuekZ.k djuk gS(

¼[k½ ;fn gka] rks ykHkkfFkZ;ksa dks vc rd dqy fdrus ?kj lkSai fn;s x;s gSa vkSj mDr y{; gkfly djus gsrq D;k dne mBk;s x;s gSa(

¼x½ D;k ljdkj us bl ;kstuk ds varxZr gky gh esa 6-5 yk[k ?kjksa dh laLohd`fr nh gS vkSj ;fn gka] rks jkT;&okj rRlacaèkh C;kSjk D;k gS(

¼?k½ bl ;kstuk ds varxZr ljdkj }kjk jkT;ksa dks dqy fdruh èkujkf'k tkjh dh xbZ gS(vkSj

¼³½ bl ;kstuk ds varxZr dsUnz rFkk jkT;ksa ds e/; ykxr dh fgLlsnkjh dk vuqikr D;k gS\

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री हरदीप सिंह पुरी)

(क) से (ड.): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

****

<u>विवरण</u>

"शहरी गरीबों के लिए आवास" के संबंध में दिनांक 06.02.2020 के लिए लोकसभा तारांकित प्रश्न सं0 *64 के उत्तर में उल्लिखित विवरण ।

*****

(क) और (ख): शहरी क्षेत्रों में आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस), निम्न आय वर्ग (एलआईजी) और मध्यम आय वर्ग (एमआईजी) श्रेणियों के व्यक्तियों की आवास संबंधी आवश्यकता को पूरा करने के लिए दिनांक 25.06.2015 को प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) [पीएमएवाई(यू)] आरंभ की गई थी । राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने आवास की वास्तविक मांग का मूल्यांकन करने के लिए योजना के तहत मांग सर्वेक्षण कराया है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा सूचित अभी तक वैध मांग 1.12 करोड़ है ।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से अब तक प्राप्त परियोजना प्रस्तावों के आधार पर, स्कीम के तहत कुल 1,03,22,560 आवास संस्वीकृत किए गए हैं; इनमें से 60,50,991 आवास निर्माण के विभिन्न चरणों में हैं और 32,07,573 पूर्ण किए जा चुके/सौंपे जा चुके हैं ।

इसके अतिरिक्त, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से मार्च, 2020 तक संस्वीकृत आवासों की उनकी सभी शेष मांग के लिए परियोजना प्रस्ताव प्राप्त करने का अनुरोध किया गया है ताकि सभी आवासों का निर्माण वर्ष 2022 तक उत्तरोत्तर रूप से पूर्ण हो सके ।

(ग): जी हां । दिसंबर, 2019 में कुल 6,70,239 आवास संस्वीकृत किए गए थे । इसका राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा **अनुलग्नक-I** पर दिया गया है ।

(घ): स्कीम के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अब तक 63,676.50 करोड़ रू. की केंद्रीय सहायता जारी की गई है ।

(ड.): केंद्र सरकार स्कीम के निम्नलिखित चार घटकों के अंतर्गत वित्तीय सहायता विभिन्न स्तरों पर उपलब्ध कराती है :

क्रम सं0	घटक	प्रत्येक आवास के लिए केंद्रीय सहायता
1.	स्व-स्थाने स्लम पुनर्विकास (आईएसएसआर)	1.00 लाख रू.
2.	ऋण आधारित सब्सिडी स्कीम (सीएलएसएस)	आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस)/निम्न आय वर्ग (एलआईजी), मध्यम आय वर्ग-I (एमआईजी-I) और एमआईजी-II श्रेणियों के लाभार्थियों के लिए क्रमश: 6 लाख रू., 9 लाख रू. और 12 लाख रू. तक की आवास ऋण राशि पर 6.5%, 4% और 3% की ब्याज सब्सिडी
3.	भागीदारी में किफायती आवास (एएचपी)	1.50 लाख रू.
4.	लाभार्थी-आधारित वैयक्तिक आवास निर्माण/संवर्धन (बीएलसी)	1.50 लाख रू.

देश भर में स्थलाकृतिक/भौगोलिक अंतर के बावजूद सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए पीएमएवाई(यू) के अंतर्गत विभिन्न घटकों हेतु केंद्रीय सहायता निर्धारित की गई है । इसके अतिरिक्त, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्कीम के एएचपी और बीएलसी घटकों के तहत लाभार्थियों को विभिन्न स्तरों पर वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं । राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा **अनुलग्नक-II** पर दिया गया है ।

****

दिनांक 06-02-2020 के लिए लोक सभा तारांकित प्रश्न सं0 64 के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक-।

पीएमएवाई(यू) के अंतर्गत दिसंबर, 2019 के दौरान केंद्रीय सहायता और हाल-ही-में संस्वीकृत आवासों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वार ब्यौरा

क्र. सं०.	राज्य	संस्वीकृत केंद्रीय सहायता (करोड़ रू. में)	संस्वीकृत आवासों की संख्या
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह(संघ राज्य क्षेत्र)	-	-
2	आंध्र प्रदेश	5,574.50	3,71,184
3	अरूणाचल प्रदेश	-	-
4	असम	306.47	20,438
5	बिहार	147.19	9,747
6	चंडीगढ़ (संघ राज्य क्षेत्र)	0.21	8
7	छत्तीसगढ़	8.86	348
8	दादरा और नगर हवेली (संघ राज्य क्षेत्र)	0.55	22
9	दमन और दीव (संघ राज्य क्षेत्र)	0.33	16
10	दिल्ली (एनसीआर)	9.40	416
11	गोवा	0.48	22
12	गुजरात	393.51	19,566
13	हरियाणा	14.25	569
14	हिमाचल प्रदेश	0.53	25
15	जम्मू और कश्मीर (संघ राज्य क्षेत्र)	121.77	8,104
16	झारखंड	40.27	231
17	कर्नाटक	415.66	26,799
18	केरल	57.68	3,634
19	लद्दाख (संघ राज्य क्षेत्र)	-	-
20	लक्षद्वीप (संघ राज्य क्षेत्र)	-	-
21	मध्य प्रदेश	259.18	14,355
22	महाराष्ट्र	351.36	18,171
23	मणिपुर	0.04	2
24	मेघालय	-	-
25	मिज़ोरम	1.29	81
26	नागालैंड	-	-
27	ओडिशा	170.34	11,311
28	पुडुचेरी (संघ राज्य क्षेत्र)	0.24	13
29	पंजाब	163.92	10,693
30	राजस्थान	18.96	874
31	सिक्किम	0.01	1
32	तमिलनाडु	531.69	32,199
33	तेलंगाना	28.10	1,226

34	त्रिपुरा	36.04	48
35	उत्तर प्रदेश	1,838.09	1,19,040
36	उत्तराखंड	2.46	112
37	पश्चिम बंगाल	21.37	984
कुल		**10,514.75**	**6,70,239**

क्र. सं०.		राज्य	बीएलसी (लाख रू. में)	एएचपी (लाख रू. में)
1	राज्य	आंध्र प्रदेश	1.00	1.50
2		बिहार	0.50	0.50
3		छत्तीसगढ़	0.81	2.50
4		गोवा	2.00	2.00
5		गुजरात	2.00	1.50
6		हरियाणा	1.00	1.00
7		झारखंड	0.75	1.50
8		कर्नाटक	1.2-1.8	1.50
9		केरल	2.50	5.00
10		मध्य प्रदेश	1.00	1.50
11		महाराष्ट्र	1.00	1.00
12		उड़ीसा	0.50	0.00
13		पंजाब	0.25	0.00
14		राजस्थान	0.00	0.00
15		तमिलनाडु	0.60	6.00
16		तेलंगाना	0.00	मुफ्त आवास
17		उत्तर प्रदेश	1.00	1.00
18		पश्चिम बंगाल	1.93	0.00
19	पूर्वोत्तर पर्वतीय राज्य	अरूणाचल प्रदेश	0.00	0.00
20		असम	0.50	0.50
21		हिमाचल प्रदेश	0.15	0.00
22		मणिपुर	0.00	0.00
23		मेघालय	0.00	0.00
24		मिज़ोरम	0.00	0.00
25		नागालैंड	0.00	0.00
26		सिक्किम	0.00	0.00
27		त्रिपुरा	0.16	0.00
28		उत्तराखंड	0.50	1.00
29	संघ राज्य क्षेत्र	अंडमान और निकोबार (यूटी)	0.00	0.00
30		चंडीगढ़ (यूटी)	0.00	0.00
31		दादरा और नगर हवेली (यूटी)	1.29	3.33
32		दमन और दीव (यूटी)	1.96	1.28
33		दिल्ली (एनसीआर) ~	0.00	0.00
34		जम्मू और कश्मीर	0.16	0.16
35		लद्दाख (यूटी)	0.16	0.00
36		पुडुचेरी (यूटी)	0.50	0.00